

ग्राम पंचायत कलजार मतियाना, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या **PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669** दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कलजार मतियाना, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमति रीना कश्यप	23.01.2011 से 22.01.2016
2	श्रीमति सुमित्रा चन्देल	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री सोहन लाल	30.08.2008 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:- ग्राम पंचायत कलजार मतियाना के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	6	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.14
2	9	दिनांक 31.03.2017 तक अनुदान का उपयोग न किया जाना।	16.68
3	10	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय किया जाना	2.33
4	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.76
5	12	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थायी भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि न किया जाना	1.92
6	13	मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की लागत से 15% Contractor's Premium की कटौती न किए जाने के कारण अधिक भुगतान	0.22

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत कलजार मतियाना, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 26.09.2017 से 04.10.2017 के दौरान ग्राम पंचायत कलजार मतियाना के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2014-15	06/2014	07/2014
2015-16	01/2016	11/2015
2016-17	03/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत कलजार मतियाना, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 572/2017 दिनांक 04.10.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, कलजार मतियाना से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव, ग्राम पंचायत कलजार मतियाना द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार **MG NREGA, & Integrated Water Shed Project** & PMKSY और 14FC के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और **Own Sources** की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में **Ledger Accounts** नहीं बनाए गए हैं। **Ledger Accounts** नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और **Own Sources** की आय, व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 4/2014 से 3/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न “परिशिष्ट- 1” पर दिया गया है।

5 (क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

ग्राम पंचायत कलजार मतियाना की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम

2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज ₹0.11 लाख को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को पंचायत निधि के स्वः संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण में पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की ₹11725 को खाता "क" में अन्तरित नहीं किया गया था। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये, खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि 04/2014 से 03/2017 के दौरान खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का विवरण

Year	Name of GIA	Amount of Interest Earned
2016-17	14 th FC	11725.00

6 पंचायत राजस्व की ₹0.14 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट- 2 में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक राजस्व ₹14000 वसूली हेतु शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करते हुये ठोस पग उठाये जाने सुनिश्चित किए जाये।

7. निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा "परिशिष्ट- 3 में दिये गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। प्रत्येक प्राप्त राशि को बैंक में जमा करवाया जाना चाहिए तथा प्रत्येक भुगतान को बैंक के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। केवल Imprest की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. बजट प्राक्कलन तैयार न करना

फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका

(Minutes Book of Gram Panchyat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

9 अनुदान की ₹16.68 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्वः स्रोतों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक कुल ₹1668201 उपयोग हेतु शेष थे। विवरण परिशिष्ट-4 पर दिया गया है। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापण संबन्धित संस्था को किया जाए।

10. निर्माण कार्यों के प्राकलन तैयार किए बिना ही ₹2.33 लाख का अनियमित व्यय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा "परिशिष्ट-5" में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹233200 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्यों से संबन्धित माप पुस्तिका एवं अन्य अभिलेख अंकेक्षण को आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए, माप पुस्तिका एवं अन्य अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्यों की पूर्ण रूप से जाँच नहीं की जा सकी। अतः निर्माण कार्यों से संबन्धित माप पुस्तिका इत्यादि अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जानी सुनिश्चित की जाए। अतः इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.76 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि "परिशिष्ट-6" में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹176500 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि भवन निर्माण सामग्री की खरीद जैसे कि पत्थर की खरीद चट्टे में और रेत की खरीद गाड़ी की संख्या के आधार पर की गई थी। जबकि

नियमानुसार इन सभी मदों की खरीद घन मीटर एवं घन फुट में की जानी अपेक्षित थी। खरीदी गई सामग्री की खपत की जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। क्योंकि खरीदी गई सामग्री की प्रमात्रा दर्शाई नहीं गई और न ही माप प्रस्तिका में खपत की प्रविष्टि दिखाई गई। अतः इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

- 12 क्रय किए गए ₹1.92 लाख के स्थाई एवं अस्थायी भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टियां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय की गई ₹192160/- की विभिन्न मदों, जिनका विवरण “परिशिष्ट-7” में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न किए जाने के कारण क्रय की गई सामग्री की खपत की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः क्रय की गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न किए जाने बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

- 13 मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की लागत से 15% Contractor's Premium की कटौती न किए जाने के कारण ₹0.22 लाख का अधिक भुगतान।

मनरेगा से संबन्धित नियमों के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले सभी निर्माण कार्यों की लागत से 15% Contractor's Premium की कटौती की जानी अनिवार्य हैं। अवधि 04/2014 से 03/2017 के संदर्भ में चयनित मासों (व्यय) के दौरान मनरेगा के अंतर्गत किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों की अंकेक्षण में विस्तृत पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण कार्यों की लागत से 15% Contractor's Premium की कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार सभी निर्माण कार्यों के संदर्भ में ₹22969 का अधिक भुगतान किया गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट- 8 पर दिया गया है। अतः निर्माण कार्यों की लागत से 15% Contractor's Premium की कटौती न किए जाने के कारण अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त अवधि 04/2014 से 03/2017 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत किए गए अन्य निर्माण कार्यों के संदर्भ में विभागीय स्तर पर उचित छानबीन की जाए और उन सभी निर्माण कार्यों में जहाँ लागत से 15% Contractor's Premium की कटौती न की गई हो, के संदर्भ में अधिक भुगतान की गणना करके वसूली सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14. मानदेय के रूप में ₹4650 का अधिक भुगतान।

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के बदले में मानदेय का भुगतान किया जायेगा, यदि कोई निर्वाचित

सदस्य ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थित नहीं होता तो उसे उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय भुगतान और ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register) की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में निर्वाचित सदस्यों को मानदेय का ₹4650/- का अधिक भुगतान किया गया था। (विवरण निम्न दिया गया है)। अतः बिना सभा में उपस्थिति के निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा भुगतान की गई मानदेय की राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Excess payment of Honorarium to Panchyat Members.

Name of Member	Date of Meeting for which payment was made	Amount Paid	Remarks
Smt. Sukarma	11.04.2014	200.00	Absent from meeting
Smt. Sukarma	26.07.2014	200.00	Absent from meeting
Sh. Ramesh	11.08.2014	200.00	Absent from meeting
Smt. Sukarma	11.08.2014	200.00	Absent from meeting
Sh.Ramesh	26.08.2014	200.00	Absent from meeting
Smt. Sukarma	26.08.2014	200.00	Absent from meeting
Total		1200.00	

15. भुगतान के संदर्भ में भुगतान प्राप्ति रसीद प्राप्त न किया जाना।

नियमानुसार किसी भी मद की खरीद या अन्य हेतु पंचायत निधि/GIA से भुगतान करने पर भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से या अन्य से भुगतान प्राप्ति रसीद प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अंकेक्षण में विभिन्न भुगतानों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न भुगतान के संदर्भ में भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से भुगतान प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं की गई थी। अतः इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Voucher No./Date	Cash Book Page No.	Amount	To Whom Paid	Remarks
Nil/13.02.2017	41	179449.00	DPO Shimla	Returned of Grant in aid for Non Utilization

16. चौकीदार, सिलाई अध्यापिका एवं अन्यो को किए गए के भुगतान के संदर्भ में आवश्यक उपस्थिति रजिस्टर इत्यादि न बनाये जाने बारे।

अवधि 04/2014 से 03/2017 के दौरान चौकीदार, सिलाई अध्यापिका एवं अन्यो को किए गए भुगतान की पड़ताल करने पर पाया कि इन सभी कर्मचारियों को

मासिक आधार पर भुगतान किया गया था। परन्तु जिस अवधि के लिए भुगतान किया गया था उस अवधि का उपस्थिति रजिस्टर नहीं बनाया गया था। जिसके कारण इस सभी कर्मचारियों को किए गए भुगतान की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अतः इन सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

17. विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
6	क्लासीफाइड एबस्ट्रैक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

18. प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

विविध अनियमितताएँ

(क) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म -7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अतः नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण नहीं किया गया था। वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अतः नियम 29(4) के अनुसार वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए) (1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत कलजार मतियाना द्वारा नहीं बनाई गई थी। अतः 93(ए) (1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पढताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत कलजार मतियाना द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं? अतः आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही रसीदों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ङ) मनरेगा से संबन्धित अभिलेखों की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 04/2015 से 03/2017 के दौरान मनरेगा से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है।

परन्तु सभी बिल एवं वाउचर पंचायत स्तर पर ही रखे जाते हैं इसलिए रोकड़ वही का लिखा जाना अनिवार्य है। अतः उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ वही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए। तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

20. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।
21. निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(1)75/2017 खण्ड-1-224-227 दिनांक 09.01.2018
शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि०प्र०
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड टियोग, जिला शिमला हि०प्र०
- 4 सचिव, ग्राम पंचायत कलजार मतियाना, विकास खण्ड टियोग, जिला शिमला (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881